आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Empowerment Department (Director, Scheduled Caste Welfare), Government of Gujarat

Kunvarbainu Mameru (Financial Assistance to Scheduled Caste Girls) (BCK-55)

गुजरात सरकार कुंवरबाई का मामेरू योजना में अनुसूचित जाति के परिवार को बालिग बेटी की शादी पर 12,000 रुपये देती है। यह योजना 1991 से चल रही है।

क्या मिल सकता है

अनुसूचित जाति की पात्र कन्या की शादी पर 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। एक परिवार की दो बालिग कन्याओं तक यह सहायता मिलती है।

किसके लिए है

गुजरात के अनुसूचित जाति परिवार, बालिग बेटी की शादी के समय।

मुख्य शर्तें

- कन्या अनुसूचित जाति की हो और गुजरात की मूल निवासी हो।
- परिवार की सालाना आय 6,00,000 रुपये तक हो। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए सीमा एक ही है।
- शादी के समय कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो।
- एक परिवार की दो बालिग कन्याओं को सहायता मिलती है, और दोबारा शादी पर भी लाभ मिल सकता है।
- जहां सात फेरा सामूहिक विवाह होता है, वहां सहायता उसी जिले में दी जाती है जिसमें विवाह आयोजित हुआ हो।

दस्तावेज़

- तय प्रारूप में आवेदन, जिसे योजना के पेज से डाउनलोड किया जा सकता है

आवेदन कैसे करें

1. अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक के योजना पेज से तय आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
2. फॉर्म भरें और शादी के दो साल के भीतर आवेदन करें।
3. इसे अपने जिले के उप निदेशक (अनुसूचित जाति कल्याण) के कार्यालय या समाज कल्याण अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sje.gujarat.gov.in/dscw/showpage.aspx?contentid=1613
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/gujarat/gj-bck-55-kunvarbainu-mameru/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।